मध्य प्रदेश शासन,

ऊर्जा विभाग,

मंत्रालय,

क्रमांक–ओएसडी / 223201 / 13 / 2020 भोपाल,दिनांक 22 / 3 / 2020

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि.
   जबलपुर।

2. **प्रबंध संचालक,**
   म.प्र.पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.
   जबलपुर / भोपाल / इंदौर।

3. **प्रबंध संचालक,**
   म.प्र. पावर जनरेटिंग / ट्रांसमिशन कंपनी लिमि0
   जबलपुर।

विषयः–नोवेल कोरोना वायरस (COVID 19) की रोकथाम के लिये आवश्यक निरोधक उपाय बावत ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID 19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु परिपत्र दिनांक 19 मार्च,2020 एवं 22 मार्च,2020 द्वारा दिशानिर्देश प्रसारित किये गये है, जो कि अतिआवश्यक सेवाओ में लागू नहीं होते। सभी विद्युत कंपनियों द्वारा वर्तमान कठिन परिस्थितियों में किये जा रहे निरंतर विद्युत प्रदाय की सराहना करते हुए विभाग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) विद्युत कंपनियों द्वारा दिनांक 31 मार्च,2020 तक मात्र प्रिवेन्टिव मेन्टेनेंस हेतु शटडाउन नहीं लिया जाए एवं सिर्फ ब्रेकडाउन तथा इमरजेंसी मेन्टेनेंस हेतु ही शटडाउन लिया जाए। इस प्रकार सीमित शटडाउन हेतु आवश्यकतानुसार रोस्टर बनाकर न्यूनतम कार्मिकों की कार्य पर तैनाती की जाए।

(2) विद्युत कंपनियों द्वारा कंपनी के अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित होने के संबंध में उपयुक्त निर्देश प्रसारित किये जायें । इन निर्देशों को प्रसारित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए :—

(i) ऐसे जिलों/ शहरों में जहां लॉकडाउन घोषित किया गया है,वहां मुख्यालय/कार्यालयों में मैदानी कार्यो की समीक्षा या मॉनिटरिंग के लिये न्यूनतम संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य पर तैनात किया जाए। ऐसे जिलों/शहरों में कंपनी द्वारा कलेक्टर एवं जिलाधिकारी के साथ समन्वय रखते हुए विद्युत आपूर्ति /उत्पादन के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ii) विद्युत उत्पादन गृहों/लोड डिस्पेच सेंटर/24X7 ट्रेडडेस्क (कन्ट्रोल रूम सहित) /विद्युत उपकेन्द्रों /कन्ट्रोल सेन्टर / नियंत्रण कक्ष/कॉल सेन्टरों में शिफ्ट में एवं आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की जाए।

(iii) कार्य पर उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी परिचय पत्र साथ में रखें एवं इमरजेंसी ड्यूटी पर कार्यरत होने के संबंध में उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए जिससे कि इस संबंध में कोई असुविधा न हो।

(iv) विद्युत उत्पादन गृहों में जहां कई कार्मिक उपस्थित होते हैं वहां यथासंभव प्रवेश के समय इन्फ्रारेड कैमरे से शरीर के तापमान मापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बड़ी संख्या में कार्मिकों की उपस्थिति के दृष्टिगत कंपनी के चिकित्सकों की तैनाती के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(v) विद्युत कंपनियों के जो कार्य अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा निवास स्थान से संपादित किये जा सकते हैं , उस हेतु उन्हें अनुमति दी जाए। किसी भी शासकीय कार्य की तात्कालिक आवश्यकता होने पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निवास से कार्यालय में बुलाया जा सके, इस हेतु शासकीय सेवकों के मोबाईल नं0, निवास का दूरभाष नंबर एवं निवास स्थान के पते की सूची तैयार की जाए।

(vi) मैदानी अधिकारियो/कर्मचारियों के लिये विद्युत कंपनियों द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि संक्रमण रोकने के लिये कार्य स्थल पर यथासंभव भीड़भाड़ न हो और चिकित्सकीय सलाह अनुसार उपस्थित व्यक्तियों के बीच दूरी बनाई रखी जाए।

(vii) कार्य स्थल पर जनसंपर्क में आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों तथा मेन्टीनेंस दल को पर्याप्त मात्रा में मास्क और हैंड सेनेटाईजर अथवा लिक्विड हैंडवाश उपलब्ध कराया जाए ।

(viii) ऐसे मैदानी कार्यालय जहां जनसाधारण उपस्थित होते हैं जैसे कि वितरण केन्द्र/कैश काउंटर वहां पर साफ–सफाई करते हुए उन्हें संक्रमण मुक्त रखा जाए। ऐसे कार्यालयों में आगुन्तकों के उपयोग हेतु भी लिक्विड हैंडवाश /साबुन तथा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।

2/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए विद्युत कंपनियों द्वारा अपने स्तर से भी ऐसे अन्य सभी उपाय किये जायें जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके तथा संक्रमण से अधिकारियों/कर्मचारियों को सुरक्षित रखा जा सके । साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाई रखी जा सके जिससे कि संक्रमण रोकने हेतु अन्य एजेंन्सियों द्वारा किये जा रहे कार्य बाधित न हों ।

उक्त निर्देश 31 मार्च,2020 तक प्रभावी रहेंगे । उक्त तिथि के बाद इस संबंध में परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण करते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा।

(अपर मुख्य सचिव,ऊर्जा द्वारा अनुमोदित)

सही/–
(पी.के.चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,ऊर्जा विभाग